

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद
विविधवाद / प्रथम अपील

संख्या.....²⁹.....

वर्ष 20..²².....



DISPOSED



18/07/22.

बनाम

अपीलकर्ता श्रीमती शहजा परवीन,
शान - मोदनीनगर, गेट नगर
पहाड़ी मोहल्ला, डाल्टनगंज
जिला पलासू
प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
पलासू

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	<p>परिवादी श्रीमती शहाना प्रवीन, थाना-मेदिनीनगर, राहत नगर, पहाड़ी मोहल्ला, डाल्टेनगंज, जिला-पलामू का परिवाद-पत्र आयोग द्वारा जारी व्हाट्सएप नं0 पर दिनांक-06.12.2022 को प्राप्त हुआ था, जिसमें उनके द्वारा राशन कार्ड में जन्म तिथि सुधारने एवं ग्रीन राशन कार्ड को लाल राशन कार्ड में परिवर्तित किये जाने का अनुरोध किया गया है।</p> <p>आयोग के पत्रांक-WA/026/2021 दिनांक-20.12.2021 द्वारा अपर समाहर्ता-सह-जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पलामू को 30 दिनों के अन्दर नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया एवं इसकी प्रति जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू को भेजी गई थी। इस संबंध में अपर समाहर्ता-सह-जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पलामू के स्तर से कार्रवाई प्रतिवेदन आयोग को अप्राप्त है।</p> <p>दिनांक-18.07.2022 को पूर्वाह्न 10:30 बजे परिसदन भवन, मेदिनीनगर में राज्य खाद्य आयोग द्वारा पलामू जिला के आयोग में विचाराधीन सभी वाद/अपीलवाद की सुनवाई किया जाना है। आयोग द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि अपर समाहर्ता-सह-जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पलामू को प्रेषित ऐसे परिवाद पत्र जिनके निष्पादन की सूचना आयोग को प्राप्त नहीं है, की भी सुनवाई पलामू परिसदन, मेदिनीनगर में दिनांक-18.07.2022 को किया जाय। उक्त के क्रम में परिवादी, अपर समाहर्ता-सह-जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी को अपना-अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस किया जा चुका है।</p> <p>अभिलेख 18.07.2022 को उपस्थापित करें।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  (शबनम परवीन) सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। </div> <div style="text-align: center;">  (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। </div> </div>	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
18.07.2022	<p>अभिलेख उपस्थापित। वाद सं०-29/2022 के मामले में आज दिनांक-18.07.2022 को परिसदन भवन, मेदिनीनगर, पलामू में सुनवाई की गई। उभय पक्ष उपस्थित।</p> <p>सुनवाई में उपस्थित शिकायतकर्ता का कहना है कि आयोग में शिकायत दर्ज कराने के बाद उनके शिकायत का समाधान हो गया है।</p> <p>शिकायतकर्ता की सहमति से वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  (शबनम परवीन) सदस्या, राज्य खाद्य आयोग, राँची। </div> <div style="text-align: center;">  (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। </div> </div>	